भाग –ए

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द	
पीठासीन अधिकारी	श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, **RJS**
निर्णय दिनांक	03.07.2026
प्रकरण संख्या	389/2015
अंतर्गत धारा	394,120बी भा.द.स.
CIS No	617/2015
CNR No	RJRS020000872020
FIR NO	46/2015 Police Station Charbhuja

परिवादी/शिकायतकर्ता	मुकेश कुमार
राज्य की ओर से	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	1.अर्जुनसिंह पुत्र श्री चैनसिंह, निवासी– वागरोदा की बावडी, थाना मावली जिला उदयपुर **(निर्णय 25.11.25)** 2.रविन्द्रसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह, निवासी– वागरोदा की बावडी, थाना मावली हॉल कर्मचारी कोलोनी तहसील रोड, नाथद्वारा **(निर्णय 25.11.25)** 3.नारायणसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह, लिम्बावास, थाना खेरोदा जिला उदयपुर। **(निर्णय 25.11.25)** 4.उदयसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, निवासी– डूंगरजी का गुडा, थाना चारभुजा जिला राजसमन्द।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री घनश्यामसिंह भाटी

भाग–बी

अपराध की दिनांक	07.04.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की दिनांक	07.04.2015
आरोप पत्र दाखिल करने की दिनांक	30.04.2015
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	27.10.2016
बयान आरम्भ करने की दिनांक	07.08.2018
बहस अंतिम सुनने की दिनांक	03.07.2026
निर्णय की दिनांक	03.07.2026
दण्डादेश सुनाये जाने की दिनांक	03.07.2026

भाग–सी

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	धारा	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	दण्डित या नहीं	धारा 468 बीएनएसएस के तहत अभियक्त द्वारा प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01	उदयसिंह	——	——	394,120बी भा.द.सं.	**दोषमुक्त**	नहीं	——

भाग–द्वितीय

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा परीक्षित साक्षीगण की सूची

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी

साक्षी नंबर	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
पी.ड. 01	हिरालाल	नक्शा मौका
पी.ड. 02	मुकेश	परिवादी
पी.ड. 03	लीलाधर	चश्मदीद साक्षी
पी.ड. 04	गिरधारीलाल	फर्द बरामदगी व बरामदगी स्थल
पी.ड. 05	धापू	वाकीयाती
पी.ड. 06	मोहन	वाकीयात व नक्शा मौका
पी.ड. 07	मनोहरसिंह	बाकयाती
पी.ड. 08	पुष्करलाल	फर्द बरामदगी व बरामदगी स्थल
पी.ड.09	नरेश भाटिया	घटना स्थल तस्दीक
पी.ड.10	नागेन्द्रसिंह	फर्द बरामदगी व बरामदगी स्थल
पी.ड.11	रानी	वाकयाती
पी.ड.12	गोपाल	वाकयाती
पी.ड.13	देवकुमार	घटना स्थल तस्दीक
पी.ड.14	माधवसिंह	फर्द गिरफ्तारी
पी.ड.15	भगवतसिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड.16	प्रकाशचन्द्र	घटना स्थल तस्दीक
पी.ड.17	भगवानलाल	मालखाना
पी.ड.18	रघुनाथ	फर्द गिरफ्तारी
पी.ड.19	संजय सोनी	फर्द बरामदगी व बरामदगी स्थल
पी.ड.20	लक्ष्मण	फर्द गिरफ्तारी

पी.ड.21	घनश्यामसिंह	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजो की सूची

क्र.सं.	प्रदर्श की संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	नक्शा मौका
02	प्रदर्श पी 02	लिखित रपोर्ट
03	प्रदर्श पी 03	चाक एफ.आई.आर.
04	प्रदर्श पी 04	फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मुलजिम अर्जुनसिंह
05	प्रदर्श पी 05	फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मुलजिम रविन्द्रसिंह
06	प्रदर्श पी 06	फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मय पर्स
07	प्रदर्श पी 07	फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मय कागजात
8	प्रदर्श पी08	लाईट बिल
9	प्रदर्श पी09	पुलिस बयान मोहनलाल
10	प्रदर्श पी 10	लाईट बिल
11	प्रदर्श पी 11	लाईट बिल
12	प्रदर्श पी 12	पुलिस बयान मनोहरसिंह
13	प्रदर्श पी 13	फर्द बरामदगी व जब्ती रूपए मुलजिम नारायणसिंह
14	प्रदर्श पी 14	फर्द जब्ती
15	प्रदर्श पी 15	फर्द बरामगी स्थल मुलजिम नारायणसिंह
16	प्रदर्श पी 16	फर्द बरामगी स्थल मुलजिम उदयसिंह
17	प्रदर्श पी 17	फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिम अर्जुनसिंह
18	प्रदर्श पी 18	फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिम नारायणसिंह
19	प्रदर्श पी 18	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रविन्द्रसिंह
20	प्रदर्श पी 19	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम अर्जुनसिंह
21	प्रदर्श पी 19	पुलिस बयान रानी
22	प्रदर्श पी 20	पुलिस बयान प्रकाश चन्द्र
23	प्रदर्श पी 20	पुलिस बयान गोपाल
24	प्रदर्श पी 21	मालखाना रजिस्टर की नकल
25	प्रदर्श पी 22	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम नारायणसिंह

26	प्रदर्श पी 23	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम उदयसिंह
27	प्रदर्श पी 24	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना मुलजिम अर्जुनसिंह
28	प्रदर्श पी 25	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना रविन्द्रसिंह
29	प्रदर्श पी 26	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना नारायणसिंह
30	प्रदर्श पी 27	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना उदयसिंह
31	प्रदर्श पी 28	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना नारायणसिंह
32	प्रदर्श पी 29	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना मुलजिम अर्जुनसिंह
33	प्रदर्श पी 30	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना नारायणसिंह
34	प्रदर्श पी 31	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना उदयसिंह
35	प्रदर्श पी 32	फर्द सुपुदर्गी रूपए

:: निर्णय :: **दिनांक : 03.07.2026**

01. यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह, नारायणसिंह के संबंध में निर्णय पूर्व में दिनांक 25.11.2025 को किया जा चुका है इसलिए यह निर्णय केवल अभियुक्त उदयसिंह के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार परिवादी मुकेश कुमार ने दिनांक 07.04. 2015 को थानाधिकारी, पुलिस थाना चारभुजा के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 06.04.2015 को उसकी गाडी आरजे.30 जीए 2220 में उसने परचुनी का सामान भरकर सप्लाई हेतु सुमेरपुर व झालना खाली करने हेतु ड्राईवर लीलाधर व खलासी मोहनलाल के साथ उक्त गाडी करीब 03 बजे दिन में रवाना की। सुमेरपुर माल खाली करने के बाद माल प्राप्तकर्ता प्रकाश भाई ने उसे फोन पर बताया कि हिसाब किताब के 08 लाख रूपए का पैकेट उसने ड्राईवर को सम्भला दिया। इसके बाद सुबह करीब 03 बजे ड्राईवर ने फोन कर बताया कि निबडी गांव से आगे एक मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्तियों ने मोटर साईकिल आडे लगाकर गाडी रूकवाकर उसके साथ मारपीट की तथा रूपयों का पैकेट, मोबाईल, पर्स आदि लेकर भाग गए हैं। जिस पर वह नाथद्वारा से रवाना होकर निंबडी पहुंचा। जहां पर ड्राईवर लीलाधर व खलासी मोहनलाल मिले। जिन्होंने बताया कि सुमेरपुर से रूपयों का पैकेट ड्राईवर सिट के पिछे रखकर आ रहे थे, कि निम्बडी

से थोडा आगे करीब 02.30 बजे एक मोटर साईकिल पर तीन व्यक्ति, जिनमें से दो ने हेलमेट लगा रखा था व एक ने मूंह बांध रखा था, ने मोटर साईकिल को उनकी गाडी के आगे रोकी। इतने में एक व्यक्ति ने उसे पकडकर नीचे खींच लिया व मारपीट कर उसका पर्स, लाईसेंस, रूपये व कागजात छीन लिए। एक व्यक्ति खलासी को मारपीट कर खींचकर दूर ले गया व उसका मोबाईल छीन लिया व एक व्यक्ति ने गाडी के अंदर चढकर सीट के पिछे पडा रूपयों का बेग ले लिया व भाग गए। रूपए एक खाकी रंग के कार्टुन में थे जिस पर गोल्ड टोबेको लिखा हुआ था......आदि।

03. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चारभुजा द्वारा प्रथम सूचना संख्या 46/2015 अन्र्तगत धारा 394 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह, नारायणसिंह व उदयसिंह के विरूद्ध धारा 394,120बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 394,120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. अभियुक्त उदयलाल को आरोप अन्तर्गत धारा 394,120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्त ने सुन समझकर आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी.ड.1 हिरालाल, पी.ड.2 मुकेश, पी.ड.3 लीलाधर, पी.ड.4 गिरधारीलाल, पी.ड.5 धापू, पी.ड.6 मोहनलाल, पी.ड.7 मनोहरसिंह, पी.ड.8 पुष्करलाल, पी.ड.9 नरेश, पी.ड.10 नागेन्द्र, पी.ड.11 रानी भटिया, पी.ड.12 गोपाल चारण, पी.ड.13 देवकुमार, पी.ड.14 माधवसिंह, पी.ड.15 भगवतसिंह, पी.ड.16 प्रकाश चन्द्र, पी.ड.17 भगवानलाल, पी.ड.18 रघुनाथ, पी.ड.19 संजय सोनी, पी.ड.20 लक्ष्मण सेन, पी.ड.21 घनश्यामसिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका प्रपी.1, लिखित रपोर्ट प्रपी.2, चाक एफ.आई.आर. प्रपी.3, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.4, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मुलजिम रविन्द्रसिंह प्रपी.5, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मय पर्स

प्रपी.6, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मय कागजात प्रपी.7, लाईट बिल प्रपी.8, पुलिस बयान मोहनलाल प्रपी.9, लाईट बिल प्रपी.10, पुलिस बयान मनोहरसिंह प्रपी. 11, फर्द बरामदगी व जब्ती रूपए मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.12, फर्द बरामदगी व जब्ती रूपए मुलजिम उदयसिंह प्रपी.13, फर्द जब्ती प्रपी.14, फर्द बरामगी स्थल मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.15, फर्द बरामगी स्थल मुलजिम उदयसिंह प्रपी.16, फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.17, फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.18, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रविन्द्रसिंह प्रपी.18, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.19, पुलिस बयान रानी प्रपी.19, पुलिस बयान प्रकाश चन्द्र प्रपी.20, पुलिस बयान गोपाल प्रपी.20, मालखाना रजिस्टर की नकल प्रपी.21, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.22, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम उदयसिंह प्रपी.23, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.24, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना रविन्द्रसिंह प्रपी.25, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना नारायणसिंह प्रपी.26, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना उदयसिंह प्रपी.27, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना नारायणसिंह प्रपी.28, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.29, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना नारायणसिंह प्रपी.30, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना उदयसिंह प्रपी. 31, फर्द सुपुदर्गी रूपए प्रपी.32 आदि दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया।

06. अभियुक्त उदयसिंह का परीक्षण अन्तर्गत धारा 351 BNSS (313 दण्ड प्रक्रिया संहिता) लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान् के बयानों को गलत होना तथा उसे झूठा फंसाया जाना कथित किया तथा अभियोजन साक्ष्य के दौरान पुलिस बयान मुकेश प्रडी.1, पुलिस बयान लीलाधर प्रडी.2 प्रदर्शित करवाए गए।

07. दौराने बहस विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

08. इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि घटना का कोई भी स्वतंत्र एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। किसी भी साक्षी ने यह साक्ष्य

नहीं दी है कि अभियुक्तगण के कब्जे से ही माल व रूपए बरामद हुए हो अर्थात अभियुक्तगण से जब्तशुदा माल व रूपए बरामद हुए हो यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

09. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्न प्रकार हैः–

01. क्या अभियुक्त उदयसिंह ने दिनांक 07.04.2015 को रात्री में 02.30 आरक्षी केन्द्र चारभुजा के क्षेत्र नीमडी के लोग मार्ग पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए वाहन संख्या आर.जे.30 जीए 2220 के आगे मोटर साईकिल लगाकर वाहन चालक लीलाधर व खलासी मोहन के साथ मारपीट कर गाडी में रखे 08 लाख रूपए, लीलाधर का पर्स, 500/– रूपए, लाइसेंस आदि उनकी सम्मति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर लूट कारित की?

02. यदि हां तो उचित दण्ड क्या हो?

10. विचारणीय बिन्दु संख्या 01 के संबंध में हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए गवाहान् में गवाह पी.ड.2 मुकेश जिसके द्वारा प्रकरण की रिपोर्ट प्रपी.2 दर्ज करवाई गई है। उक्त गवाह ने अपनी रिपोर्ट प्रपी.2 का समर्थन करते हुए कथन किया है कि दिनांक 06.04.15 को उसकी गाड़ी आर जे 30 जी ए 2220 में परचुनी का सामान भरकर सप्लाई करने के लिए ड्राइवर लीलाधर व खलासी मोहनलाल को नाथद्धारा से रवाना किया था तथा सुमेरपुर में माल खाली करने के बाद वहां व्यापारी प्रकाश जिसने माल प्राप्त किया था, ने उसे फोन करके बताया कि उसके हिसाब–किताब के 8 लाख रूपये ड्राइवर लीलाधर को संभला दिया है। अगले दिन सुबह करीब 3 बजे के आसपास उसके ट्रक के ड्राइवर लीलाधर ने फोन कर बताया कि उनकी गाड़ी के आगे एक मोटर साइकिल पर बैठे तीन लोगों ने गाड़ी आड़े लगाकर मारपीट कर 8 लाख रूपये से भरा बेग, मोबाइल

व पर्स लेकर भाग गये है तथा उससे मारपीट की। उसके खलासी मोहनलाल को भी मारपीट कर उसका फोन छीन लिया। जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया कि उसके ड्राईवर लीलाधर ने उसे लूट कारित करने वाले किसी व्यक्ति का नाम, उम्र हुलिया या लिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही लूट कारित करने में शामिल किसी मोटर साईकिल के नंबर, नाम, मोडल या रंग के बारे में कोई जानकारी दी। उसके ड्राईवर लीलाधर या खलासी के शरीर पर कोई भी चोट या लडाई झगडे के निशान नहीं थे। उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रडी.1 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाए जाने से इंकार किया है।

11. प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.3 लीलाधर जो कि ट्रक का ड्राईवर था, जिसके साथ लूट की वारदात होना बताई गई है किन्तु उक्त गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि उसके साथ किस व्यक्ति ने लूट कारित की, उसका नाम नहीं जानता है। उसके मोबाईल, पर्स, लाईसेन्स या उसके दस्तावेज कभी भी किसी व्यक्ति ने नहीं लूटे बल्कि पुलिस ने लिए थे। उससे पुलिस ने अभियुक्तगण के संबंध में कोई शिनाख्तगी परेड मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करवाई। गवाह ने हाजिर अदालत मुलजिम को देखकर यह कथन किया कि हाजिर अदालत मुलजिमान् ने उसके साथ कभी कोई लूट नहीं की।

12. इसी प्रकार घटना का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.6 मोहन जो कि उक्त ड्राईवर लीलाधर के साथ खलासी होना बताया गया है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में ही यह कथन किया है कि वह लीलाधर को नहीं जानता है और न ही मुकेश भाटिया को जानता है। वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसके साथ कभी कोई लूट की वारदात नहीं हुई। उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उक्त गवाह ने जिरह में किसी प्रकार की कोई घटना उसके साथ या लीलाधर के साथ होने से इंकार किया है तथा इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना के समय वह ट्रक पर लीलाधर के साथ मौजूद हो। इस प्रकार उक्त गवाह ने सम्पूर्ण घटना के संबंध में विरोधाभासी कथन किए हैं। इस प्रकार प्रकरण में जिन व्यक्तियों के साथ लूट कारित हुई है, उन व्यक्तियों में से गवाह मोहनलाल ने लूट की घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है तथा अन्य गवाह लीलाधर ने हाजिर अदालत मुलजिमान् द्वारा उसके साथ किसी प्रकार

की कोई लूट कारित किए जाने से इंकार किया है तथा उसका मोबाईल, पर्स, लाईसेंस की लूट होने से भी इंकार किया है। स्वयं रिपोर्टकर्ता ने यह कथन किया है कि उसके ड्राईवर ने मुलजिमान् का रंग, हुलिया, नाम तथा मोटर साईकिल के नंबर आदि नहीं बताए हैं। ऐसी स्थिति में किस मोटर साईकिल पर बैठकर किन व्यक्तियों द्वारा लूट कारित की गई, यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है। मुलजिमान् द्वारा किसी प्रकार की घटना किए जाने से स्वयं आहत लीलाधर व मोहनलाल ने इंकार किया है। जिनके साथ लूट कारित होना बताया गया है उनके शरीर पर भी किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पाई गई है। पुलिस द्वारा मुलजिमान् की आहत से काई शिनाख्तगी परेड भी नहीं करवाई गई है।

13. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहान् में से गवाह पी.ड.8 पुष्कर व पी.ड.10 नागेन्द्रसिंह जो कि जब्ती के गवाह हैं, ने अभियुक्त उदयसिंह से उनके सामने पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई जब्ती किए जाने से इंकार किया है। गवाह पी. ड.1 रानी भाटिया जो कि परिवादी की पत्नी है किन्तु उक्त गवाह यह कथन करती है कि उसके ट्रक पर क्या लूट हुई, उसे पता नहीं और न ही उसके पति द्वारा इस ट्रक पर हुई लूट के बारे में कोई जानकारी ही दी। ऐसी स्थिति में जिस ट्रक पर लूट की वारदात हुई, उस ट्रक के मालिक द्वारा घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है।

14. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड.12 गोपाल चारण है। उक्त गवाह परिवादी की दुकान पर सेल्समेन का कार्य करने का कथन करता है तथा उक्त गवाह ने घटना के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होने का कथन किया है। उक्त गवाह को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा जिरह में गवाह ने घटना के बारे में इंकार किया है तथा अपने पुलिस बयान प्रपी.20 का सी से डी भाग पुलिस को लिखाने से भी इंकार किया है।

15. गवाह पी.ड.15 भगवतसिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है किन्तु उक्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा पूर्ण अनुसंधान नहीं किया गया है । उसके पश्चात् अग्रिम अनुसंधान घनश्यामसिंह द्वारा किया गया है। उक्त गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि किसी भी गवाह ने अपने बयान में घटना कारित करने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, उम्र या लिंग के बारे में कोई कथन नहीं किया है।

16. गवाह पी.ड.16 प्रकाश चन्द्र है। उक्त गवाह इस तथ्य से इंकार करता है कि गोपाल उससे कोई रूपये लेकर नहीं आया तथा उसे किसीने कोई रूपए नहीं दिए और न ही उसने किसी को देने के लिए रूपए दिए। उक्त गवाह परिवादी मुकेश के उक्त बयानों का खण्डन करता है कि सुमेरपुर में व्यापारी प्रकाश ने उसे फोन करके बताया कि आपके हिसाब किताब के 08 लाख रूपए ड्राईवर लीलाधर को दिए हैं किन्तु उक्त गवाह प्रकाश, गवाह मुकेश के बयानों का खण्डन करते हुए ड्राईवर लीलाधर को कोई रूपए नहीं देना बताता है। ऐसी स्थिति में जिन रूपयों की लूट होना बताया गया है, वे रूपए लीलाधर को किसने दिए और लीलाधर के पास रूपए थे या नहीं, इस बाबत् कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

17. प्रकरण के अन्य गवाह पीड.21 घनश्यामसिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसके द्वारा प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त गवाह द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी मुकेश की रिपोर्ट प्रपी.2 में किसी व्यक्ति के नाम, उम्र या हुलिये का अंकन नहीं किया गया है। उक्त गवाह अभियुक्त उदयसिंह से लूटे गए रूपये, पर्स, लाईसेंस जरिए फर्द प्रपी.13 बरामद करना बताता है किन्तु उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि जिन मकानों से रूपए जब्त करना वह बता रहा है, उन मकानों की मिल्कियत के संबंध में कोई दस्तावेज उसने पटवारी, सरपंच, सचिव, नगर परिषद, पार्षद से प्राप्त नहीं हुए। इस मकान का बिल भी अभियुक्त के नाम पर नहीं है। अभियुक्त उदयसिंह से जब्ती के संबंध में परीक्षित दोनो गवाहान् पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा उक्त दोनो ही गवाहान् ने उदयसिंह से किसी प्रकार की कोई जब्ती नहीं किए जाने का कथन किया है। यहां तक कि स्वयं आहत लीलाधर ने भी यही कथन किया है कि उससे किसी प्रकार के कोई पर्स, लाईसेंस आदि नहीं लूटे गये। ऐसी स्थिति में अभियुक्त उदयसिंह के पर्स या लाईसेंस की बरामदगी स्वमेव ही संदिग्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त से ऐसी कोई बरामदगी हुई हो जो कि लूट गये माल को दर्शाती हो, यह संदेह से परे साबित नहीं होता है।

18. प्रकरण के अन्य गवाहान् मात्र औपचारिक प्रकृति के रह जाते हैं। अतः अभियोजन पक्ष अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त उदयसिंह द्वारा लीलाधर व मोहन के साथ उनके

ट्रक को रोकर उनसे मारपीट कर 08 लाख रूपए का पैसके, पर्स, 500/- रूपए तथा लाईसेंस आदि की लूट कारित की गई हो और उक्त अपराध को कारित करने के लिए अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर कोई आपराधिक षडयंत्र कारित किया हो। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त उदयसिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 394,120बी भा.द.सं. में आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है जिससे अभियुक्त दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

19. अतः अभियुक्त उदयसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, निवासी- डूंगरजी का गुडा, थाना चारभुजा जिला राजसमन्द को अपराध अंतर्गत धारा 394,120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

20. प्रकरण में जब्तशुदा 08 लाख रूपए उसके स्वामी फर्द ठाकुरदास जरिये विमल भाटिया को एवं मोटर साईकिल संख्या आर.जे.27 एसडब्ल्यु 9305 को उसके पंजीकृत स्वामी को पूर्व में लौटाया जा चुका है और शेष पर्स 500/- रूपए सहित, दो मोबाईल नोकिया व ईटाची, ड्राईविंग लाईसें, एक आधार कार्ड, तीन विजिटिंग कार्ड उनके स्वामीयों को लौटाने बाबत् संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। यदि प्रकरण में अन्य कोई वजह सबूत या कोई सामान जब्त किया गया हो तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

(धर्मेन्द्र कुमार शर्मा)

21. निर्णय व आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 03.07.2026 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(धर्मेन्द्र कुमार शर्मा)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.04 14:40:53 IST